आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

16.8.2022

नामान्तरण अपील वाद सं0 07/2018–19

रामरूप प्रसाद वगैरह प्रति चाँदनी देवी

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 265/2016–17 में दिनांक 20.10.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गयी। प्रत्यर्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थीगण विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। फलतः प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा ग्राम पिण्डरिया के खाता सं0 01 प्लॉट सं0 141 रकबा 0.34 एकड भूमि का गलत तरीका से प्रत्यर्थी के नाम से नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया है। इस कारण अपीलार्थी यह अपील दायर कर रहे है।

02 भूतपूर्व जमीन्दार रंजीत साव से गुलपति देवी एवं कवलपति साहून ने 0.80 एकड भूमि क्रय किया तथा लगान रसीद कटती है। कुल 0.80 एकड में 04 हिस्सेदार है, जिसमें प्रत्येक को 0.20 एकड हिस्सा होता है। प्रत्यर्थी के पति दो भाई है दोनो को 0.10 एकड हिस्सा होता है लेकिन प्रत्यर्थी के द्वारा अंचल अँधिकारी, अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर गलत ढंग से अधिक भूमि का नामान्तरण करा लिए है।

03 रकबा 0.34 एकड में चार हिस्सेदार को रकबा 0.08 1/8एकड ही भूमि हिस्सा होता है उसमें भी रामरूप प्रसाद के दो लडके हुए दोनों को 0.04 1/8 एकड हिस्सा होता है लेकिन प्रत्यर्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर रकबा 0.34 एकड़ भूमि का संतोष प्रसाद ने अपनी पत्नी को केवाला कर गलत ढंग से नामांतरण कर दिए है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

04 अंचल अधिकारी रकबा 0.04 1/8एकड़ भूमि के जगह रकबा 0.34 एकड़ भूमि की जो इनके प्रत्यर्थी के हक में नहीं है नामांतरण कर दिए तथा आम इस्तेहार का तामिला भी नहीं कराया गया केवल इस्तेहार पर गलत हस्ताक्षर बनाया हुआ है, इस पर किसी भी अनुसेवक का हस्ताक्षर नहीं है। अभिलेख में आम इस्तेहार के तामिला के लिए कोई तिथि अंकित नहीं है स्थान खाली है। जॉच प्रतिवेदन के हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक का कोई मंतव्य नहीं है इस आधार पर अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामान्तरण वाद संख्या 265/2016–17 में दिनांक 20.10.2016 को पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 यह अपील ज्ञापन जिस प्रकार से तैयार की गई है वह पोषणीय नहीं है एवं अपील वाद खारिज करने योग्य है।

02 पूर्णतः काल बाधित है एवं अपीलार्थी ने अपील का विलम्ब से दाखिल करने का कोई भी समुचित आधार अगले आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं किया गया है। अपील वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज योग्य है। अपीलार्थी को यह अपील दाखिल करने का कोई वैधानिक हक नहीं हैं।

03 नामान्तरण वाद संख्या 265/2016–17 में दिनांक 20.10.2016 ई0 को विद्वान अंचल अधिकारी नगर उंटारी के पारित आदेश के विरूद्व दिनांक 22.09.2018 ई0 में जो अपील ज्ञापन दाखिल किया गया है जो नामांतरण अपील दाखिल करने की निर्धारित काल अवधि से बहुत ज्यादा विलम्ब से है

04 अपलार्थी के अपील ज्ञापन के पारा नं0 1 का कथन गलत है। वास्तविकता यह है कि विद्वान अंचल अधिकारी नगर उंटारी पूरी नामांतरण की प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का नामांतरण स्वीकृत किया है। अतः विद्वान अंचल अधिकारी नगर उंटारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

05 अपील ज्ञापन के पारा नं0 2 का कथन तोड़ मरोड कर प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रत्यर्थी ने अपने हिस्से की अनुरूप प्रश्नगत प्लॉट प्रत्यर्थी के पक्ष में बिक्री किया है जो सही है। वंशावली निम्न प्रकार है। वंशावली निम्न प्रकार है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

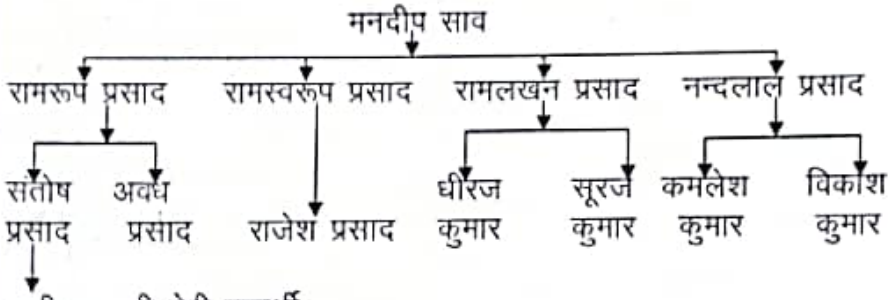

06 बंशावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी के विक्रेता को प्रश्नगत प्लॉट में उतनी भूमि बिक्री करने का अधिकार था, और प्रत्यर्थी के पक्ष में हस्तांतरित किया।

07 अपील ज्ञापन के पारा नं0 3 का कथन गलत है। विद्वान अंचल अधिकारी ने संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं प्रत्यर्थी का प्रश्नगत प्लॉट जॉचोपरान्त पाया गया कि क्रेतागण क्रय की गई भूमि पर शांतिपूर्ण दाखिल खारिज करने की अनुशंसा की थी। वह सही व सत्य है।

08 विद्वान अंचल अधिकारी निम्न न्यायालय के पारित आदेश विधि सम्वत है। इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अंचल अधिकारी की निम्न न्यायालय अभिलेख में नामांतरण प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए नामांतरण की प्रक्रिया स्वीकृत किया है।

09 अपीलार्थीगण अपने अपील ज्ञापन के आधारर सं0 ग में तथ्य लाया है वह सही नहीं हो सकता है क्योंकि नामांतरण की प्रक्रिया में हक की घोषणा नहीं की जाती है। बल्कि मांगधारी के जमाबंदी से क्रेता से क्रय की गई भूमि का मांग कम किया जाता है।

10 अपीलार्थी के अपील ज्ञापन के किसी भी आधार में कोई गुण नहीं है एवं सभी आधार आधारहीन है।

10 सत्यापन एवं घोषणा पत्र में संबंधित अधिवक्ता ने अपील दायर करने का जो आधार बनाया है उसे प्रस्तुत करने हेतु अपने को आवद्ध करने की घोषणा अपील ज्ञापन में नहीं की है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न प्रकार के कागजात दाखिल किये है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

01 खतियान की छायाप्रति ..... 3 फर्द
02 बंटवारा नामा की छायाप्रति ..... 1 फर्द
03 केवाला सं0 356 की छायाप्रति ..... 8 फर्द
04 लगान रसीद की छायाप्रति ..... 2 फर्द
05 शुद्धि पत्र की छायाप्रति ..... 1 फर्द

अपीलार्थीगण विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। फलतः प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना तथा अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र एवं प्रत्यर्थी का प्रत्युतर तथा अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत् भूमि के साथ साथ अन्य खाता प्लॉट की भूमि को अपने दोनों पुत्र संतोष प्रसाद तथा अवध प्रसाद को बँटवारा कर चुके है। जिसमें प्रश्नगत् भूमि संतोष प्रसाद को प्राप्त हुआ है। संतोष प्रसाद के द्वारा ग्राम पिण्डरिया के खाता संख्या 01 प्लॉट संख्या 141 कुल रकबा 0.34 एकड भूमि को प्रत्यर्थी चाँदनी देवी से केवाला संख्या 908 दिनांक 12.07.2016 के द्वारा विक्रय किया गया है। अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा रहने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

अपीलार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य/तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि नामांतरण वाद में पारित आदेश को हस्तक्षेप किया जाय।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 265/2016–17 में दिनांक 20.10.2016 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जाता है।

इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी नगर उंटारी को अनुपालन हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/VIII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

16/VIII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.10 15:09:33 +05:30
Location: 192.168.1.35

Scanned with CamScanner